

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त 2017—श्रावण 18, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्र. एफ-24-9-2016-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री आर. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 20 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में, शब्द “तीन मास के भीतर” के स्थान पर, शब्द “20 नवम्बर 2017 तक” स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.